प्रेस नोट
जनपद सोनभद्र
दिनांक 01.10.2024

"सोनभद्र पुलिस की अविराम कार्यवाही"

हिण्डाल्को रेनुकूट का गबन किया हुआ माल एल्यूमिनियम इंगट वजन 10 टन (कीमती 31 लाख रुपये) मय प्रयुक्त वाहन 02 अदद ट्रक, 01 अदद कार आई ट्वन्टी बरामद व अन्तर्राज्जीय 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार-

अवगत कराना है कि दिनांक-20.08.2024 को थाना पिपरी पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि हिन्डालको कम्पनी का माल एल्यूमिनियम कुल भार 29.825 मिट्रिक टन कीमत 9175051 रुपया है जो दिनांक-31.07.2024 को वाहन संख्या JH02 AZ 5761 पर लोड कर हिन्डालको रेनूकुट से जे0एस0डब्लू स्टील लिमिटेड डोल्वी महाराष्ट्र भेजा गया था, उपरोक्त ट्रक युनुस अंसारी पुत्र अब्दुल रसीद निवासी पोस्ट जरवा, थाना जरही, जनपद हजारीबाग (झारखण्ड) के नाम से पंजीकृत है। जो एल्यूमिनियम माल को डोल्वी महाराष्ट्र भेजा गया था अभी तक माल पहुंचा नही, रास्ते में वाहन स्वामी की साजिश से वाहन चालक द्वारा गायब कर दिया गया है। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना पिपरी पर मु0अ0सं0-119/2024 धारा 316(3), 318(4), 61(2), 319(2), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

उक्त अभियोग के अनावरण, अभियुक्तो की गिरफ्तारी व माल बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय व क्षेत्राधिकारी पिपरी के निर्देशन में थाना पिपरी की संयुक्त गठित टीम की गयी। जिस क्रम में गठित टीम द्वारा आज दिनांक 01.10.2024 को समय करीब 11.00 बजे मुखबिर की सूचना पर थाना पिपरी अन्तर्गत खाडपाथर के जंगलों में एक ट्रक संख्या MH 12 NX 3068 लदी हुई एल्युमिनियम को दुसरी ट्रक संख्या MH 48 CQ 2382 में लोड़ कर रहे 10 टन एल्यूमिनियम (कीमती 31 लाख रुपये) के साथ 03 नफर अन्तर्राज्जीय अभियुक्तगण को पकड़ लिया गया गया। गिरफ्तारी व वरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तगणों से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त इस्माइल पीर मोहम्मद शेख ने बताया कि ट्रक संख्या MH 12 NX 3068 मेरे नाम से पंजीकृत है। मेरे सहयोगी अजमत अली, सैय्यद फजल व वारिस अली सभी लोग ट्रक ट्रांसपोर्ट व भंगार का कार्य करते है। वारिस अली ने फोन से सूचना दिया कि वह अपने साथी विद्यासागर मिश्रा व राजा मियां के माध्यम से हिन्डालको कम्पनी रेनुकूट सोनभद्र से एल्युमिनियम की सिल्ली को ट्रक संख्या JH 02 AZ 5761 की फर्जी कागजात, फर्जी एग्रीमेंट व फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर औरंगाबाद व पुणे में एल्युमिनियम की सिल्ली को बेचने के उपरान्त शेष बची हुई सिल्ली को झारखण्ड व बिहार में ले जाकर छोटे-मोटे कबाडियों को बेचने की योजना बनाई थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1.इस्माइल पीर मोहम्मद शेख पुत्र स्व0 पीर मोहम्मद निवासी अन्नासाम नगर चिचंवड 18, थाना पिपरी, जनपद पूणे, महाराष्ट्र उम्र 65 वर्ष ।

2.अजमत अली उर्फ अमजद खान पुत्र आशरफ उल्लाह खान निवासी जीन्सी खास गेट, थाना जीन्सी,जनपद औरंगाबाद, महाराष्ट्र उम्र 36 वर्ष ।

3. सैय्यद फजल पुत्र सैय्यद बादशाह निवासी भरत नगर बालूज, थाना बालूज, जनपद औरंगाबाद, महाराष्ट्र उम्र 37 वर्ष ।

बरामदगी का विवरणः-

1.माल एल्यूमिनियम इंगट कुल 10 टन (कीमत 31 लाख रुपये) ।

2.ट्रक नं0 MH 12 NX 3068।

3.ट्रक नं0 MH 48 CQ 2382 ।

4.एक अदद कार आई ट्वन्टी ।

5. अभियुक्तगणों के पास से कुल 5200 रुपये ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

1. उ0नि0 श्री राजेश जी चौबे, चौकी प्रभारी रेनूकूट थाना पिपरी सोनभद्र ।

2. हे0का0 प्रकाश सिंह, सर्विलांस टीम, जनपद सोनभद्र ।

3. का0 प्रदीप कुमार, का0 सिकन्दर सरोज, थाना पिपरी सोनभद्र ।